भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4089 का उत्तर

किसान रेल और कृषि रसद

4089. श्री राहुल कस्वां:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि, डेयरी, बागवानी और अन्य खराब होने वाले उत्पादों के लिए रेल परिवहन, शीत श्रृंखला और कृषि संभार तंत्र की वर्तमान प्रणाली का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) किसान रेल और कृषि संभार तंत्र से संबंधित योजनाओं की वर्तमान प्रगति का ब्यौरा क्या है और किसानों की भागीदारी और परिवहन लागत पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों की परिवहन लागत को कम करने, बाजारों तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए कोई व्यापक कार्यनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का कृषि उत्पादन क्षेत्रों में रेल आधारित शीतागारों, माल टर्मिनलों और कृषि संभार तंत्र अवसंरचना का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): क्षेत्रीय रेलों द्वारा कृषि उत्पादों और अन्य नश्यवान वस्तुओं के परिवहन में शामिल संबंधित स्थानीय एजेंसियों के साथ नियमित बातचीत की जाती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों में कार्यरत व्यवसाय विकास इकाइयां नश्यवान वस्तुओं के परिवहन सहित व्यवसाय की आवश्यकता का आकलन करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करती हैं।

अगस्त, 2020 में इसकी शुरुआत होने के बाद से, विभिन्न राज्यों में 167 मार्गों पर कुल 2,364 किसान रेल सेवाएं परिचालित की गई हैं। इसके अलावा, अत्यधिक नश्यवान पण्यों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन की शुरुआत हेतु प्रावधान किया गया है। ऐसी 20 रेफ्रिजरेटेड पार्सल वैन उत्पादनाधीन हैं और मांग तथा भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर रेलवे चल स्टॉक में अतिरिक्त वैन जोड़ी जाएंगी।

खाद्य अनाज सहित कृषि उत्पादों के कंटेनरों में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जो परिवहन का एक सुरक्षित और कुशल अंतर-मॉडल साधन है। कंटेनर में खाद्यान्न, आटा और दालों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए, हाल ही में प्रति किलोमीटर आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली (पण्य श्रेणी और दूरी स्लैब आधारित माल भाड़ा प्रणाली के बजाय) को अपनाया गया है।

गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति के तहत, कृषि उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के पण्यों के लिए बेहतर रेल संपर्क और आधुनिक कार्गो सम्हलाई अवसंरचना की सुविधा प्रदान की जाती है। जीसीटी के विकास ने तीव्र और अधिक कुशल लदान/उतराई के माध्यम से रेल माल ढुलाई आवागमन को सुदृढ़ किया है, प्रारंभिक छोर और अंतिम छोर संभार-तंत्र लागत को कम किया है, माल डिब्बा टर्नअराउंड में सुधार किया है और माल ढुलाई को सड़क से रेल में मोडल शिफ्ट की सुविधा प्रदान की है। इस नीति ने गोदामों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज और अन्य मूल्यवर्धित संभार-तंत्र सुविधाओं के निर्माण को सक्षम किया है। इससे स्थानीय कृषि उद्योगों और किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है, साथ ही रोजगार सृजन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

अब तक, 142 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों (जीसीटी) को प्रतिवर्ष 224 मिलियन टन (एमटीपीए) की अनुमानित माल सम्हलाई क्षमता के साथ कमीशन किया गया है। इस नीति के माध्यम से इन जीसीटी में लगभग 10,000 करोड़ रु. का निजी निवेश जुटाया गया है। उपरोक्त के अलावा, 310 अन्य स्थानों पर जीसीटी के विकास के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, कार्गो से संबंधित सुविधा (सीआरएफ) पर नीतिगत दिशानिर्देश मौजूदा टर्मिनलों के निकट खाली पड़ी रेल भूमि पर गोदामों, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और एकत्रीकरण सुविधाओं सहित मूल्यवर्धित संभार-तंत्र अवसंरचना के विकास की अनुमति प्रदान करते हैं। ऐसी सुविधाएं कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने, कटाई के बाद होने वाली हानी को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने, निर्बाध मल्टीमॉडल संभार-तंत्र को सुविधाजनक बनाने और किसानों को कुशल रेल-आधारित परिवहन के माध्यम से बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने में सहायता प्रदान करती हैं।
